

फर्द अहकाम  
(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
देराजराम पुत्र बागाराम जाति जाट, निवासी चितरोली तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (03)		केसाराम पुत्र मुकनाराम जाति जाट, निवासी चितरोली तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (38)

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (91,188,92क)

मुकदमा नम्बर 95/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

10.06.2025

प्रार्थीगण/वादीगण/अपीलाण्ट के अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह सियाग द्वारा यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 91, 188, 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण/रेस्पोजेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 25.06.25 को पेश हो।

25.6.25

पत्रावली पेश हुई।  
वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।  
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 16.7.25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर  
शिव (बाड़मेर)

16.7.25

पत्रावली पेश। वादी अधिवक्ता उप।  
पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण की तामिली हेतु दिनांक 8.8.25 को पेश हो।

8.8.25

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 8.9.25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर  
शिव (बाड़मेर)

8.9.25

पत्रावली पेश। वादी अधिवक्ता उप।  
पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण की तामिली वास्ते दिनांक 8.10.25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर  
शिव (बाड़मेर)



तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर  
अहकाम  
हुकम की  
में जारी हुए

8.10.25

पत्रावली पेशा वारी वारी वारी अनुपस्थित।  
पत्रावली में उम्मावी पैरवी हेतु न्यायालय  
समय में वारी व वारी माघिबस्तु के रक -  
रुउरुद सावाजे से जामे के बावजुद अनुपस्थित।  
अतः पत्रावली में त्रेडे उम्मावी पैरवी नहीं देने  
तथा वारी व वारी माघिबस्तु के अनुपस्थित  
रहेन पर उम्मा बाद मामा धजरी व मामा पैरवी  
में खारिज किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से उम्मा वेकर दायित  
वस्तु है।

सहायक कलक्टर  
शिव (बाड़मेर)

सेवा में